न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या:– 13/2017

प्रार्थीगण	बनाम	**अप्रार्थीगण**
1– अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अजीज जाति तेली निवासी नागोरीगेट के अन्दर, नया तालाब, मालियों की की बगेची के पास, तहसील व जिला जोधपुर।		1– जमालुदीन पुत्र इब्राहिम के कायम मुकाम वगैरा 1/1–सलाउदीन पुत्र जमालूदीन 1/2–ईसलामुदीन पुत्र जमालूदीन 1/3–जाकीर हुसैन पुत्र जमालूदीन 1/4–सराजुदीन पुत्र जमालूदीन 1/5–अखलिद उर्फ पिन्टू पुत्र जमालूदीन जातियान तेली मुसलमान निवासीगण रूण बर्तन भण्डार के पास, नागोरीगेट रोड़, जोधपुर। 2– सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114 सी.पी.सी. एवं सपठित आदेश 47 व्यवहार प्रकिया संहिता और अन्तर्गत धारा 86, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2016 आदेश दिनांक 13.02.2017 को पुनः निरीक्षण हेतु प्रस्तुत।

आदेश दिनांक 14.02.2018

उपस्थिति :–

1– श्री प्रार्थी स्वयं उपस्थित (प्रार्थीपक्ष)
2– श्री कानाराम गोदारा अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष)

:– आदेश –:

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि वाके ग्राम बनाड़ तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 383/8 किस्म गेर मुमकिन भूमि में से रकबा 0.10 बीघा भूमि का अप्रार्थीगण के पिता अमालुदीन पुत्र इब्राहिम पक्ष में आवंटन की किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थीपक्ष ने नियम 14(4), राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रार्थना–पत्र (13/2016) अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया जिसका निस्तारण दिनांक 13.02.2017 को करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया उक्त आदेश के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

लगातार...

रिव्यू प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल पत्रावली सं. 13/2016 आदेश दिनांक 13.02.2017 को संलग्न किया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा ने Memo of appearance पेश किया। दिनांक 29.01.18 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए बतलाया कि प्रार्थीपक्ष की ओर से ख.नं. 383 की खतौनी मिसल बंदोबस्त, राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–7) विभाग द्वारा जारी परिपत्र, राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 02.08.2004 का निर्णय व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों पर अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर/पीठासीन अधिकारी ने ध्यान नहीं देते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सं. 13/2016 निरस्त कर दिया गया। विवादग्रस्त भूमि धारा 16, राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित भूमियों जहां पर खातेदारी अधिकार नहीं होगें, के संबंधित निर्णय व लिखित बहस पेश करने के बाद भी पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश करने के उपरान्त भी ध्यान नहीं दिया अतः रिव्यू अधीन आदेश पर पुनः निरीक्षण करना आवश्यक है। अन्त में उक्त प्रकरण सं. 13/2016 आदेश दिनांक 13.02.2017 पुनः निरीक्षण कर उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि पुनरावलोकन का अधिकार स्पष्ट रूप से विधि में विहित होने पर काम में लिया जाता है तथा जहां अभिलेख में कोई को सुस्पष्ट गलती नहीं हो वहां पुनरावलोकन के लिए कोई आधार नहीं बनता है अतः प्रस्तुत प्रकरण में कोई नये तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह जाहिर होता है कि आदेश को पुनरावलोकन के लिए कोई आधार हो। अपनी बहस में आर.आर.टी. 2005(1) पेज–545 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओ. 47 नियम–1 के अन्तर्गत रिव्यू में सिद्धान्त पारित किया कि निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो सकता है किन्तु नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता। अतः रिव्यू चलने योग्य नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष की ओर से इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र (13/2016) अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत ग्राम बनाड़ के खसरा नम्बर 383 गै.मु. आगोर भूमि में 0.10 बीघा भूमि का तहसीलदार जोधपुर द्वारा बाड़ा आबंटन को निरस्त करने का पेश किया गया जो दिनांक 13.02.2017 को प्रार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र में मुख्य कथन यही है कि विवादग्रस्त भूमि धारा 16, राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित भूमियों जहां पर खातेदारी अधिकार नहीं होगें, के संबंधित निर्णय व लिखित बहस पेश करने के बाद भी पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश करने के उपरान्त भी ध्यान नहीं दिया अतः रिव्यू अधीन आदेश पर पुनः निरीक्षण करना आवश्यक है। न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी ने पुनर्विलोकनाधीन (रिव्यू) आदेश दिनांक 13.02.17 में स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों मे सिवाय चक, चारागाह, वनभूमि, गैर मुमकीन तथा आबादी भूमि पर राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(17)राज/3/71 दिनांक

लगातार...

03.07.1971 (18.02.1955 से 31.12.1970 तक के अतिक्रमण) एवं परिपत्र क्रमांक एफ.6(10)राज/ग्रुप–4/77 दिनांक 23.0.1977 (01.07.75 तक किये गये अतिक्रमण) के अनुसार 500 वर्गगज भूमि निःशुल्क या उससे अधिक 1000 वर्गगज तक होने पर कुछ प्रीमियम राशि लेकर सभी अतिक्रमणों का नियमन करने के तहसीलदारों को अधिकृत किया गया मानते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा 1979 में तथाकथित बाड़ा/मकान भूमि के आवंटन आदेश जारी किया गया अर्थात् राजस्थान भू–राजस्व (राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन) नियम, 1970 के तहत विवादग्रस्त बाड़ा भूमि का आबंटन नहीं माना तथा इस कारण नियम 14(4) के तहत कथित बाड़ा सनद को निरस्त करने का प्रावधान नहीं मानते हुए प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना–पत्र सं. 13/2016 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व (राजकीय भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आबंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) निरस्त किया गया, इसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि हुई हो या इस नियम के तहत चुनौति दी जा सकती है, प्रार्थीपक्ष की ओर से कोई न्याय निर्णय पेश नहीं किया अतः पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांक 13.02.2017 में हस्तक्षेप योग्य नहीं है, परिणामस्वरूप प्रार्थीपक्ष का रिव्यू प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया